




तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुयें
27/03/26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय हडताल/कार्य स्थगन पर हैं। पेशी इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक 28/04/26 को पेश हो।</p> 	
28/04/26	<p>वकूलाय उप.आज पीठासीन अधिकारी DM's office में पेश है। पत्रावली दिनांक 30/04/26 को पेश हो।</p> 	
30-04-2026	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम की तामीली आज दिनांक तक नहीं करवाई गई है। अधिवक्ता प्रार्थी को पूर्व में अनेक अवसर प्रदान किये गए, जिसमें दिनांक 07.11.2025, 05.12.2025 एवं दिनांक 06.01.2026 को विशेष रूप से अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम की तलबी हेतु निर्देशित किया गया, यहाँ तक कि अधिवक्ता प्रार्थी को अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया, किन्तु इसके बावजूद भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तामीली हेतु अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेशों का निरंतर अनुपालन नहीं किया गया। यह परिलक्षित होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी प्रकरण के प्रभावी संचालन में रुचि नहीं ले रहे हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 09 नियम 05 के प्रावधानों के अनुसार यदि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तामीली हेतु आवश्यक कार्यवाही नियत समय में नहीं की जाती है, तो याचिका निरस्त किये जाने योग्य होती है। अतः निगरानी याचिका अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम की तामीली हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण, आदेश 09 नियम 05 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जाए। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>  <p>अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	